राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 83 / 2022 निर्णय दिनांक : 07.02.2024

ओमप्रकाश बनाम तहसीलदार वगै0

ओमप्रकाश पुत्र स्व. मोहनसिंह जाति जाट निवासी नयासर तहसील व जिला झुंझुनूं

——— वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय, झुंझुनूं
2. मोतीलाल पुत्र कुन्दनलाल जाति श्रीमाल निवासी श्रीमालों का मोहल्ला दादाबाड़ी के पास झुंझुनूं

——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

वादी का जोर से वाद पत्र निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत है:--

वादी राजस्व ग्राम नयासर का स्थाई निवासी है और विधि के अनुकूल काने वाले सम्भान्त व प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य है। वादी के पिता स्व मोहन सिंह का देहान्त वर्ष 2011 में हो चुका है। बाद देहान्त स्व० मोहन सिंह की चल व अचल सम्पति मे वादी मो मालिकाना हक व अधिकार विरासत उत्तराधिकारी मे प्राप्त हुये थे। वादी के पिता स्व मोहन सिं पुत्र स्व० नारायणारान की मोतीलाल पुत्र कुन्दनलाल जाति श्रीमाल निवासी झुंझुनू से अच्छे ताल्लुकात थे। मोतीलाल को घरेलु खर्चे के लिए रूपयों की आवश्यकता थी तो उन्होंने स्व० मोहन सिंह से 1000/ प्राप्त करने को कहा और निवेदन किया तो दिनांक । अक्टूबर 1964 को एक हजार रूपये नगद उधार प्रदत कर दिये और उसके बदले में स्व० मोतीलाल ने अपनी जमीन खतरा नम्बर 74/1 तादादी 1 बीघा खाम, कच्ची लिखकर देदी। उस समय बही में लिखावट करदी लेकिन विक्रय पत्र तस्दीक नहीं हो सकता था क्यो कि एक बीघा की कच्ची की रजिस्ट्री नहीं होती थी और के इकरार किया कि जब भी विक्रय पत्र तस्दीक करायेगें, मैं तस्दीक कर दूंगा। उक्त निबाट स्व. मोहन सिंह की बही मे लिखदी व मोतीलाल ने हस्ताक्षर कर दिये व दो गवाह जिसुखराम पुत्र नारायणाराम व नरसाराम पुत्र गोपाल राम निवासी नयासर । उक्त जमीन स्व० मोहन सिंह वे बेत उत्तर -पूर्व दिशा मे सटकर थी। वर्ष 1964 से लेकर आज तक निर्विवादित रूप से स्वामित्व अधिकार का स्व० मोहनसिंध का या जोर उनकी मृत्यु के बाद विरासत मे भाई बंटवारे में जोमप्रकाश वादी के हक में बाने से वादी उक्त जमीन का उपयोग उपभोग करता है।

मोतीलाल का काफी अर्सा पूर्व देशान्त हो चुका है और उन्होंने अपनी खातेदारी भूमि को फी लोगों को विक्रय कर दिया। स्व. मोतीलाल के कोई वारिस नहीं है। उक्त तथ्य इस बात से बित है कि मुकदमा नम्बर 26ध्2012 कामवानी विधाधर बादि बनाम मनफूल जादि निर्णय नांक 11.1.2013 हाजा न्यायालय व्दारा पारित निर्णय से साबित है। खसरा नम्बर 74/1 के नई ाईश में खसरा नम्बर नये 151, 152, 153, 154, 155, 156 बन गये तथाकथित जमीन खसरा नम्बर /1 के खसरा नम्बर 156 कायम हुये जिसकी कुल तादादी 1.63 हेक्टर हुई जिसमे से निर्णय नांक 11.01.2013 को 1.52 हेक्टर को उक्त निर्णय से विद्याधर आदि के नाम राजस्व रिकार्ड मे ं हो गयी वाकी 0.11 हेक्टेयर यानि 1100 मीटर वादी के अधिकार कब्जे मे है जिसके जमाबंदी नामान्तरण दिनांक 05.02.2013 में बटा नम्बर 156/730 हुये । वादी के पिता के समय से लेकर न तक वादी का कब्जा काश्त है जो करीबन 58 वर्ष हो गये वादी का प्रतिकूल कब्जा है। लेकिन ाजस्व रिकार्ड ने रिकार्ड दुरुस्त नहीं है। वादी वगैरह ने यह यह मान रखा था कि उक्त जमीन जस्व रिकार्ड ने हमारे नाम है लेकिन वादी द्वारा अपनी उक्त जमीन मे पोल्ट्री फार्म लगाने के ाए पट्टे का आवेदन किया जो लैण्ड इम्प्रूवमेंट के तहत आवेदन किया तो तहसीलदार झुंझुनूं ने बताया क तथाकथित जमीन आपके नाम ही नहीं ओर दिनांक 15.03.2022 को पट्टे की प्रक्रिया करने से न्कार कर दिया और कहा कि न्यायालय से उक्त जमीन राजस्व रिकार्ड मे आपके नाम करवाने के द ही में कार्यवाही सम्पादित कर सकता हूँ। इसलिय यह दावा करना आवश्यक हुआ ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी सरकार ने अपनी रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/3699 दिनांक 09.12.2022 के द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की। जमाबंदी के मुताबिक पक्षकार नहीं होने से न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांकित 31.03.2023 को खातेदार मोतीलाल पुत्र कुन्दन लाल को पक्षकार बनाने के आदेश दिये जाने पर उसे पक्षकार बनाया गया। नये बनाये पक्षकार की तामील इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला प्राप्त हुई। वकील वादी श्री कुर्बान चेजारा ने प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि मोतीलाल मर चुका है तथा इसके कोई वारिस नहीं है। अधिवक्ता ने नाम हजफ का निवेदन किया। अपने समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा का मु0 नं0 26/2012 निर्णय दिनांक 11.01.2013 पेश किया जिसमें भी मोतीलाल नाऔलाद फौत माना गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली बहस में ली गई। अधिवक्ता श्री कुर्बान चेजारा वादी की ओर से तथा सरकार की और से राजकीय पैरोकार की उपस्थिति में बहस पत्रावली पर सुना गया। तद्उपरान्त वाद पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस विद्वान अधिवक्तागण पर बगौर मनन किया गया। वाद में चाहे गये रिलिफ की पुष्टि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व न्यायालय हाजा के मुकदमा नं. मु0 नं0 26/2012 निर्णय दिनांक 11.01.2013 से होना स्पष्ट रूप से जाहिर है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/3699 दिनांक 09.12.2022 से भी विवादित आराजी के 0.11 है0 हिस्से पर वादी का ही कब्जा काश्त साबित होता है। उपरोक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायालय मत पर न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा :–

–: निर्णय :–

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि ग्राम नयासर तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 156 में से कार्यालय हाजा के निर्णय दिनांक 11. 013 के उपरान्त शेष रकबा 0.11 है0 जो वादी के कब्जे काश्त की भूमि है में से खातेदार मोतीलाल का हजफ किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार र दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

य आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू